न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी -- श्रीभागीरथराम आर.ए.एस.)

मिसल नं0 1022/दावा/2016
(पूर्व मि0नं0 766/दावा/2013)
दायरा दि0 13/11/2013

उनवान

सीताराम पुत्र रामनारायण जाति खाती निवासी डोवड़ा तह0 खानपुर मृतक का0मु0

1. दौलतराम पुत्र सीताराम जाति खाती निवासी डोवडा तह0 खानपुर
2. पुरूषोत्तम पुत्र सीताराम जाति खाती निवासी डोवडा तह0 खानपुर
3. श्याणीबाई पुत्री सीताराम जाति खाती निवासी डोवडा तह0 खानपुर
4. मोहनीबाई पुत्री सीताराम जाति खाती निवासी डोवड़ा तह0 खानपुर

--- वादीगण

बनाम

1. मोतीलाल पुत्र धूल्या जाति माली निवासी डोवडा तह0 खानपुर मृतक का0मु0
2. कान्हा पुत्र धूल्या जाति माली निवासी डोवड़ा तह0 खानपुर मृतक का0मु0
3. पुष्पाबाई पुत्री मोतीलाल पत्नि प्रभूलाल जाति माली नि. कुजेंड़ तह0 अटरू जिला बारां
4. गुलाबबाई पुत्री मोतीलाल पत्नि छोटूलाल जाति माली निवासी कुजेंड़ तह0 अटरू जिला बारा
5. रामबाबू पुत्र कान्हा जाति माली निवासी दहीखेड़ा तह0 खानपुर
6. धनराज पुत्र कान्हा जाति माली निवासी दहीखेडा तह0 खानपुर
7. कंवरलाल पुत्र कान्हा जाति माली निवासी दहीखेडा तह0 खानपुर
8. नन्दलाल पुत्र कान्हा जाति माली निवासी दहीखेड़ा तह0 खानपुर
9. कैलाशबाई पुत्री कान्हा पत्नि मोहन जाति माली निवासी झालरी तह0 सांगोद जिला कोटा
10. उर्मिलाबाई पुत्री कान्हा पत्नि बाबूलाल जाति माली निवासी सारोलाकलां तह0 खानपुर
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर जिला झालावाड़

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री बृजसुन्दर शर्मा अधिवक्ता – वादीगण

निर्णय

दिनांक२१/०१/२०१९

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 आर.टी. एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम डोवडा के माल में खाता सं0 171 की ख0नं0 479 की 2.16 बीघा आराजी स्थित है, जिसके प्रतिवादी 1, 2 सह खातेदार टीनेंट है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा इनके कानूनी वारीसान 3 लगा0 10 हैं। वर्तमान में भी यह आराजी खातेदार मोती व कान्हा मृतक के खाते दर्ज है, इनका कोई फौती इंतकाल नहीं खोला गया है। नकल जमाबंदी सं0 2068–71 पेश है। प्रति0नं0 1, 2 के मृतक पिता धूलीलाल उर्फ धूल्या पुत्र पूराजी जाति माली निवासी डोबड़ा ने दि0 12.02.1965 को जर्ये रजिस्टर्ड बैनामा ग्राम डोबड़ा की एवं उसके खाते व हिस्से की आराजी पुराने ख0नं0 982/398/399 की 3.09 बीघा आराजी 200/– रू0 में वादी को बैचान कर कब्जा संभला दिया था। नकल बैनामा पेश है। वर्णित आराजी जिसके पुराने ख0नं0 982/398/399 हैं के नया नम्बर 479 बने है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

दि0 12.02.1965 के अनुसरण में आराजी सं0. 2023 में वादी के खाते दर्ज हो चुकी थी। नकल जमाबंदी सं0 2023–26 संलग्न है तथा मिलान खसरा ग्राम डोबड़ा सं0 2020 संलग्न है। वर्णित आराजी पर क्रय दिनांक 12.02.1965 से आज दिन तक वादीगण का लगातार कब्जा चला कब्जा चला आ रहा है। धूलीलाल उर्फ धूल्या पुत्र पूरा जी की मृत्यु हो चुकी है उनके कानूनी वारीसान मोती व कान्हा हैं जो रेकार्ड में दर्ज है। मोती व कान्हा की भी मृत्यु हो चुकी है। उनके वारीसान प्रति0 3 लगा0 10 है। प्रति0 3 लगा0 10 से आराजी खाते लगाने की कहने एवं प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर वाद कारण दि0 10.09.13 को उत्पन्न हुआ है। सेटलमेंट विभाग ने बिना वादी एवं प्रतिवादीगण को सूचना दिये वर्णित आराजी 3.09 बीघा से कम करके 2.16 बीघा कर दी जो उनके क्षैत्राधिकार से बाहर है। अतः वाद, वादी पेश कर निवेदन है कि खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिकी सादिर फरमायी जावे कि ग्राम डोबड़ा की पुराने ख0नं0 982/398/399 की 3.09 बीघा आराजी जिसके नये नम्बर 479 की 2.16 बीघा मुताबिक जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दि0 12.02.1965 के मुताबिक जिसमें 0.13 बीघा आराजी सेटलमेंट विभाग ने खाते से कम कर दी है, रेकार्ड में दुरूस्त कर प्रतिवादीगण का नाम खाते से हटाया जाकर वादी का नाम खाते में दर्ज करने की डिकी सादिर फरमायी जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावे।

वाद, वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी 5 लगा0 8 की ओर से श्री मनीष श्रृंगी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब का अवसर चाहा। प्रति0 3, 4, 10, 11 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने पर्याप्त अवसर के बाद भी जवाबदावा पेश नहीं किया तथा दिनांक 02.03.2015 को अधिवक्ता प्रतिवादी के नोइन्स्ट्रक्शन करने एवं प्रति0 5 लगा0 8 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में दि0 14.03.16 को वादी सीताराम, गवाह मदनलाल, रामकिशन के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज Exp1 लगा0 Exp5 प्रदर्श कराये गये। दि0 06.03.17 को वादी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 स्वीकार कर वादी 1 लगा0 4 को मृतक वादी सीताराम के कायम मुकाम दर्ज किये गये। तत्पश्चात वाद पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरते हुये प्रकट कि ग्राम डोबड़ा की ख0नं0 479 की 2.16 बीघा आराजी प्रतिवादी 1, 2 के खाते दर्ज है, इनकी मृत्यु हो चुकी है तथा इनके वारीसान 3 लगा0 10 हैं किन्तु अभी यह आराजी मोती व कान्हा के ही खाते दर्ज है, इनका फौती इंतकाल नहीं खोला गया है। प्रति0नं0 1, 2 के पिता धूलीलाल उर्फ धूल्या माली ने दि0 12.02.1965 को जर्ये रजिस्टर्ड बैनामा से साबिक ख0नं0 982/398/399 की 3.09 बीघा आराजी 200/– रू0 में वादी को बैचान कर कब्जा संम्भला दिया था, तभी से लगातार हमारा कब्जा चला आ रहा है। इस आराजी के नये नम्बर 479 बने है। यह आराजी सं0 2023 में वादी के खाते दर्ज हो चुकी थी, किन्तु सेटलमेंट ने इसे पुनः विक्रेता के खाते दर्ज कर दिया तथा इसका रकबा भी 0.13 बीघा कम कर दिया, जिसका सेटलमेंट को कोई अधिकार नहीं था। हमने तत्समय की जमाबंदियात, मिलान खसरा, हाल जमाबंदी की नकल, असल रजिस्ट्री पेश की है तथा गवाहान के बयान कराये हैं, जिनसे हमारा दावा साबित होता है। हमारा दावा डिकी करें तथा ग्राम डोबड़ा की साबिक ख0नं0 982/398/399 की 3.09 बीघा हाल ख0नं0 479 की 2.16 बीघा मुताबिक जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दि0 12.02.1965, जिसमें 0.13 बीघा आराजी सेटलमेंट विभाग ने खाते से कम कर दी है, रेकार्ड में दुरूस्त कर वादीगण को खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण का नाम खाते से खारिज किया जावे।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। वादी ने मृतक खातेदार धूलीलाल उर्फ धूल्या माली निवासी डोवड़ा से दि0 12.02.1965 को जर्ये रजिस्टर्ड बैनामा क्रय की गयी आराजी ग्राम डोवड़ा की साविक ख0नं0 982/398/399 की 3.09 बीघा को अपने खाते दर्ज कराने का यह वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2068–71 ग्राम डोवड़ा की खाता सं0 171 जो Exp1 है, के अनुसार ख0नं0 479 की 2.16 बीघा आराजी मोती, कान्हा पिता धूल्या कौम माली सा0दे0 के हिस्सा बराबर से खाते दर्ज है। रजिस्टर्ड बैनामा दि012.06.1965 जो Exp2 है, जिससे धूलीलाल वल्द पूरा जाति माली निवासी डोवड़ा ने अपने खाते की ग्राम डोवड़ा की ख0नं0 982/398, 399 की 3.09 बीघा आराजी सीताराम पुत्र रामनारायण जाति खाती निवासी डोवड़ा को 200/–रू0 में बैचान की है। नकल जमाबंदी सं0 2023–26 ग्राम डोवड़ा की खाता सं0 130 जो Exp3 है, में ख0नं0 982/398, 399 की 3.09 बीघा आराजी सीताराम पुत्र रामनारायण जाति खाती के नाम है। नकल जमाबंदी सं0 2044–47 ग्राम डोवड़ा खाता सं0 137 जो Exp4 है, में ख0नं0 479 की 2.16 बीघा आराजी मोती, कान्हा पिता धूल्या जाति माली के खाते दर्ज है। नकल मिलान खसरा सं0 2020 जो Exp5 है, के अनुसार साविक ख0नं0 982/398, 399 की 3.09 बीघा के नये ख0नं0 479 रकबा 2.16 बीघा बने हैं। वादी ने दि0 14.08.2018 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है कि क्रय की गयी साविक ख0नं0 982/398, 399 की 3.09 बीघा के स्थान पर नये ख0नं0 479 रकबा 2.16 बीघा आराजी उसके खाते दर्ज करने का आदेश फरमावें। वादी एवं गवाहान मदनलाल, रामकिशन के बयानों से वादी के वाद की पुष्ठि होती है। वहीं प्रतिवादीगण ने पर्याप्त अवसर के बाद भी जवाबदावा पेश नहीं किया तथा इनके न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दि0 2.3.15 इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है, इससे भी प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण वादी के वाद से सहमत हैं। दौराने वाद, वादी सीताराम के फौत हो जाने से उसके वारीसान 1 लगा0 4 को कायम मुकाम नियुक्त किया गया है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी ने अपने वाद को रेकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित कराया है। ऐसे में वादीगण ग्राम डोवड़ा खाता सं0 137 की ख0नं0 479 की 2.16 बीघा के खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं।

अतः वाद, वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा वादीगण 1 लगा0 4 का ग्राम डोवड़ा जमाबंदी सं0 2068–71 की खाता सं0 171 की ख0नं0 479 की 2.16 बीघा आराजी का बांट बराबर से खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। वर्तमान खातेदार मोती, कान्हा पिता धूल्या का नाम खाते से खारिज हो। राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

निर्णय आज दिनांक 29/01/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner